GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय

(RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड)

No. 2018/H/2-1/2 (Policy) **New Delhi, Dated 13.09.2018**

General Managers,
All Indian Railways &
Production Units including RDSO
Director General/NAIR.

Sub:- Delegation of power to grant extension under Junior/Senior Residency Scheme and DNB trainees as per NBE guidelines in Railway Hospitals – regarding.

In terms of extant instructions, for engagement of Jr. /Sr. Residents under Residency Scheme and DNB/FNB trainees under National Board of Examinations (NBE) guidelines, the sanction of initial engagement and subsequent extensions from time to time is done with the approval of Competent Authority in Ministry of Railways for which zones have to send the proposal for extension of engagement seeking approval for the same from time to time. The need for simplifying the procedure of extension of such schemes has been engaging attention of the Board for some time.

The matter has been examined in consultation with Finance Directorate.

After detailed deliberation in the matter, it has been decided that first/initial sanction of scheme of engagement of Jr. Residents/Sr. Residents under Residency Scheme of Govt. of India and engagement of DNB /FNB seats under the scheme of National Board of Examinations (NBE) will be given by Railway Board and extension of the same will be granted by the General Managers of the zone without referring the proposal to Railway Board.

This has the approval of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(R.S.Shukla)
Joint Director, Health
Railway Board
New Delhi, Dated 13 .09.2018

No. 2018/H/2-1/2 (Policy)

Copy to:-

1. **Pr. Chief Medical Directors/ Chief Medical Officers, All Indian Railways including PUs and RDSO.**
2. **Pr. CPO, All Indian Railways (including PUs and RDSO).**

(R.S. Shukla)
Joint Director, Health
Railway Board
New Delhi, Dated 13 .09.2018

No. 2018/H/2-1/2 (Policy)

Copy to:-

1. **PFA/ All Indian Railways (including PUs and RDSO).**
2. **The Principal Director of Audit, All Indian Railways (including PUs and RDSO).**

For Financial Commissioner/Railway Board

No.2018/H/2-1/2 (Policy)

New Delhi, Dated: 13.09.2018

Copy to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For Secretary, Railway Board

Copy to:- PSO to CRB, FC, MS, ME, MT, ML, MM Railway Board.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2018/एच/2-1/2(पॉलिसी) **नई दिल्ली, दिनांक 13.09.2018**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
अ.अ.मा.सं. सहित उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी.

विषय : रेलवे अस्पतालों में रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत जूनियर/सीनियर रेजिडेंटों और एनबीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीएनबी प्रशिक्षुओं का कार्यकाल बढ़ाने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।

रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत जूनियर/सीनियर रेजिडेंटों और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत डीएनबी/एफएनबी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति से संबंधित मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, आरंभिक नियुक्ति और उसके बाद समय-समय पर नियुक्ति की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति रेल मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दी जाती है, जिसके लिए उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ाने हेतु समय-समय पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जोनों द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है। कुछ समय से ऐसी योजनाओं की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता की ओर बोर्ड का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है।

वित्त निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है।

इस मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात, यह विनिश्चय किया गया है कि भारत सरकार की रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत जूनियर रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की योजना के अंतर्गत डीएनबी/एफएनबी सीटों पर नियुक्ति से संबंधित योजना की प्रथम/आरंभिक स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा दी जाएगी और उनकी नियुक्ति की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति रेलवे बोर्ड को इस संबंध में प्रस्ताव भेजे बिना जोनों के महाप्रबंधकों द्वारा दी जाएगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त है।

(आर. एस. शुकल)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/एच/2-1/2(पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.09.2018

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां एवं अ.अ.एवं मा. सं.
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयां एवं अ.अ. एवं मा. सं.)

(आर. एस. शुकल)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/एच/2-1/2(पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.09.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. **प्रधान वित्त सलाहकार/सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयों और अ.अ. एवं मा. सं. सहित)**
2. **प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें (उत्पादन इकाइयों और अ.अ. एवं मा. सं. सहित)**

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे बोर्ड

सं. 2018/एच/2-1/2(पॉलिसी) नई दिल्ली, दिनांक 13.09.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ एवं इरपोफ, कमरा नं. 256-ए एवं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनीस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इंप्लॉइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी एवं एसटी रेलवे इंप्लॉइज एसोसिएशन, कमरा नं. 8 (भूतल), रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण संगठन, (पंजीकृत), 490ए/16 गुरूद्वारा रोड, गुड़गांव।